ज्ञापांक–753/तक0/2022

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–10वीं फरवरी 2022

सेवा में,

NEWTECH VILLA DEVELOPERS PVT. LTD.
Newtech Grand 6,
Dhanbad Petrol Supply company,
Rani Talab Dhaiya, PS Dhanbad,
Distt.- Dhanbad Pin – 826004

विषयः– **मौजा–51, प्लॉट नं0–301, 302, 295, 296, 2904, खाता नं0–Nagar Palika, वार्ड नं0–W32, थाना–51, जिला–धनबाद में प्रस्तावित व्यावसायिक भवन निर्माण हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित व्यावसायिक भवन निर्माण हेतु प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, धनबाद के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–69 दिनांक–10.02.2022 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित व्यावसायिक भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. प्रस्तावित भवन के सामने वाले भाग में कम से कम दो लाख लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. अग्निशमन कार्य हेतु बीस हजार लीटर क्षमता वाले टेरेस वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. भवन के चारों तरफ 200mm डाया वाले रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक–एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय।यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
5. भवन के सभी स्टेयरकेश लॉबी में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ एक–एक वेट राईजर का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30-30 मी0 लम्बा होजरील होज, डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. भवन के सभी तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्म गौंग से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
7. ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि स्प्रिंकलर के जलापूर्त्ति हेतु किये जानेवाले पाईपिंग व्यवस्था का संबंध अंडरग्राउण्ड एवं टेरेस टैंक दोनों से रहे।
8. बेसमेंट में कम से कम दो घंटा अग्नि–रोधी फायर पार्टीशन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
9. बेसमेंट में बिजली का ट्रांसफर्मर जैसे पौजीटिव प्रेशर उत्पन्न करनेवाले किसी भी उपकरण का संस्थापन नहीं कराया जाय।
10. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
11. भवन के सभी तलों को एड्रेसेबल टाईप स्मोक डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
12. अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम दो अदद 2850 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
13 900 Lpm क्षमता वाले एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
14. 180 Lpm क्षमता का जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
15. समान क्षमता का डीजल चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
16. राईजर एवं स्प्रिंकलर के लिए अलग–अलग पम्पिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाय।
17. ये सभी फायर पम्प डिलिवरी हेडर से Inter Connected रहेंगे।
18. पम्पिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।

19. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से भी जोड़कर रखा जाय।
20. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन से हीं कराया जाय।
21. भवन के स्टेयरकेश लॉबियों में सतही तल पर 50 ली0 क्षमता वाले एक–एक अदद वाटर मिस्ट अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
22. भवन में प्रति 400 वर्गफीट अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले चार–चार अदद डी0सी0पी0 एवं 04.5 के0जी0 क्षमता के सी0ओ0टू0 02-02 अदद अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
23. सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
24. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
25. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
26. भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
27. प्रत्येक तलों के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि–रोधी स्वचालित फायर चेक डोर का संस्थापन कराया जाय।
28. भवन में मानक के अनुरुप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
29. इस भवन में सभी सिनेमा स्क्रीन संस्थापित कराये जाने का प्रस्ताव है। इन सभी स्क्रीनों में शो समाप्ति का समय इस प्रकार से रखा जायेगा कि एक स्क्रीन का शो समाप्त होने के कम से कम आधा घंटा पश्चात् हीं किसी दूसरे स्क्रीन का शो समाप्त हो। ताकि निकास के रास्तों में अनावश्यक ज्यादा भीड़–भाड़ न हो।
30. सभी सिनेमा भवन में यदि कोई Fabric अथवा दहनशील पदार्थ का प्रयोग किया जाता है तो उसे अग्नि रोधी रसायन में Treatement अवश्य कर लिया जाय।
31. प्रत्येक स्क्रीन के दोनों तरफ होजरील होज का संस्थापन कराया जाय।
32. प्रत्येक सिनेमा स्क्रीन के प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वार को कम से कम दो घंटा अग्नि–रोधी फायर चेक डोर से सुरक्षित किया जाय।
33. प्रत्येक तलों के लिए अलग–अलग ए0सी0 डक्ट की व्यवस्था की जाय तथा डक्ट में मानक के अनुरूप स्वचालित फायर डैम्पर का संस्थापन कराया जाय।
34. ए0सी0 डक्ट में मानक के अनुरूप में स्वचालित फायर डैम्पर का संस्थापन कराया जाय।
35. सभी लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय।
36. Eccallators की अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था मानक के अनुरूप की जाय।
37. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
38. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
39. प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
40. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.4 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2022.02.10 18:44:56 +05'30'

(जगजीवन राम)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।